

आर.टी.आई. अपील सं० : 02/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.03.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/123 दिनांक 25.01.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 06.02.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा उनके पत्रांक आर.टी.आई./2019/148 दिनांक 12.02.2019 द्वारा तारीख पेशी दिनांक 13.02.2019 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलान्ट को उनके कार्यालय के पत्रांक 917-918 दिनांक 31.12.2018 द्वारा वांछित सूचनाएं प्रेषित की जा चुकी है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.12.2018 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 24.01.2019 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त पत्रांक आर.टी.आई./19/148 दिनांक 12.02.2019 से यह स्पष्ट है कि निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि वांछित सूचनाएं उनके कार्यालय से संबंधित थी।</p> <p>अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें। इस हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।</p>	<p>फिलम 49/19/123 आर.टी.आई. 786-81 23/4/19</p>

(डॉ. अशोक कुमार)  
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं  
अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर